पुलिस सुधार की दिशा में सात कदम
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव
जुलाई 2007

1. भूमिका

इस बारे में कोई विवाद नहीं हैं कि पुलिस में व्यवस्थागत सुधार जरुरी हैं और टाले नहीं जा सकते। सर्वोच्च न्यायलय ने 22 सितंबर 2006 को प्रकाश सिंह मामले में सुनाए गए अपने फैसले में आदेश दिया था कि सुधार होने चाहिएं। 11 जनवरी 2007 को न्यायालय ने अपने फैसले के संदर्भ में राज्यों तथा केन्द्र की आपत्तियों और सरोकारों को सुना और इन्हें ध्यान में रखते हुए बहुत दृढ़तापूर्वक कहा कि पुलिस सुधार की प्रक्रिया फौरन आरंभ हो जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है, वह कानून होता है। इसके निर्देशों का पालन न करने का अर्थ है उसके आदेश की अवज्ञा करना और इसके लिए अदालत की अवमानना करने का भी आरोप लगाया जा सकता है। 9 अप्रैल 2007 को अपने दृढ़ भंगिमा को बदलते हुए न्यायालय ने समयावधि के विस्तार/ संशोधनों के निवेदनों पर विचार करने के लिए एक और तारीख (30 अप्रैल 2007) तय की।

2. घटनाक्रम : प्रकाश सिंह व अन्य बनाम भारतीय संघ व अन्य

दो पुलिस महानिदेशकों, प्रकाश सिंह तथा एन. के. सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित समादेश याचिका दायर की	1996
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक पुलिस अधिनियम प्रारुप लेखन समिति (पीएडीसी) का गठन किया	सितंबर 2005
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और राज्यों को आदेश की पालना करने के लिए 3 जनवरी 2007 तक का समय दिया	22 सितंबर 2006
पीएडीसी ने एमएचए को मॉडल पुलिस विधेयक सौंपा	31 अक्टूबर 2006
सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2006 के अपने निर्देशों की पालना को मॉनीटर करने के लिए सुनवाई की	11 जनवरी 2007
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2, 3 व 5 निर्देशों की पालना के लिए अंतिम तिथि तय की	11 जनवरी को कार्यकारी आदेशों के जरिए तत्काल
शेष 1, 4, 6, 7 निर्देशों को लागू करने की तिथि को आगे बढ़ाना	31 मार्च 2007
अनुपालना का शपथपत्र दाखिल कराने की अंतिम तिथि	10 अप्रैल 2007
तिथि विस्तार/ संशोधनों के लिए निवेदनों और अवमानना याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई	अगस्त 2007

3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश क्या हैं?

ये सात निर्देश सुधार की शुरुआत करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। उनमें विगत 25 वर्षों में पुलिस सुधारों पर गठित किए गए अनेकों आयोगों तथा समितियों की सिफारिशें शामिल हैं। संक्षेप में सरकारों को निम्न निर्देश दिए गए:

1. (1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार पुलिस पर गलत दबाव न डाले; और (2) नीतिगत व्यापक दिशानिर्देश बनाए, और (3) राज्य की पुलिस के कार्य–प्रदर्शन का मूल्यांकन करे, एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए;
2. सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता–आधारित व पारदर्शी प्रक्रिया से हो और उसका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष हो;
3. सुनिश्चित किया जाए कि (जिला पुलिस के प्रभारी पुलिस अधीक्षक, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी स्टेशन हाउस ऑफिसर सहित) कार्रवाई संबंधी कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी न्यूनतम दो वर्ष हो;
4. एक पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड का गठन किया जाए जो उप–पुलिस अधीक्षक तथा उससे नीचे के ओहदों के पुलिस अधिकारियों के सभी स्थानांतरणों, नियुक्तियों, पदोन्नितयों तथा इन पुलिस अधिकारियों से संबंधित अन्य सेवा मामलों का फैसला करे और पुलिस उप–अधीक्षक के ओहदे से बड़े अधिकारियों की नियुक्तियों तथा स्थानांतरणों के बारे में सिफारिशें करे;
5. केन्द्रीय पुलिस संगठनों के मुखियाओं के चयन तथा नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करने की खातिर केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित किया जाए और इन मुखियाओं के लिए भी दो साल के न्यूनतम कार्यकाल का प्रावधान किया जाए;

6. पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध हिरासत में हुई मौतों, पुलिस हिरासत में गंभीर चोट या बलात्कार सहित गंभीर दुर्व्यवहार की जन शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना की जाए; और
7. पुलिस के जांच तथा कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग–अलग किया जाए।

4. राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों ने क्या किया?

11 जनवरी 2007 को राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अनुपालना में अपने द्वारा उठाए गए कदमों के विवरणों पर न्यायालय को अपने शपथपत्र सौंपे। 9 अप्रैल 2007 को राज्यों तथा केन्द्र ने न्यायालय के आदेश की पालना के मामले में उठाए गए नए कदमों के विवरणों के ताजा शपथपत्र सौंपे। राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर सभी राज्यों/ क्षेत्रों की आदेश अनुपालना की स्थिति को निम्न ग्राफिक प्रस्तुति के जरिए दर्शाया गया है:

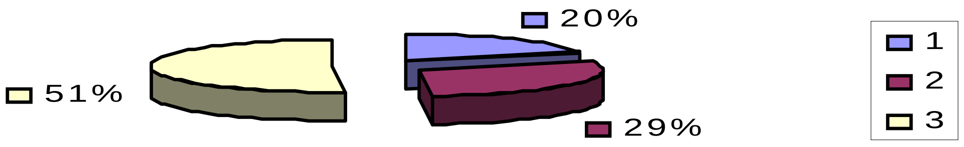

1. पालना की; 2. पालना नहीं की; 3. आंशिक पालना की

पालना स्कोरबोर्ड

श्रेणियों की परिभाषा

पालना की	सूचित किया कि सभी निर्देशों की पालना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
आंशिक पालना की	एक या अधिक निर्देशों की पालना के लिए कदम उठाए हैं और संभव है कि कुछ निर्देशों के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज कराई हों।
पालना नहीं की	कुछ या सभी निर्देशों के विरुद्ध सख्त आपत्तियां दर्ज कराई हैं और निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाने की सूचना नहीं दी; या कहा है कि नये पुलिस कानून का प्रारुप तैयार किया जा रहा है, इसलिए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए; या पालना संबंधी ठोस कदमों के बारे में कोई सूचना नहीं दी और पालना की समयावधि को बढ़ाने का निवेदन किया; या केन्द्र शासित क्षेत्र हैं जो पालना के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर हैं।

पालना की	आंशिक पालना की	आंशिक पालना की	पालना नहीं की
सिक्किम*	हिमाचल प्रदेश*	ओड़ीशा	प. बंगाल*
असम*	दमन व दीऊ	चंडीगढ़	छत्तीसगढ़*
मेघालय	राजस्थान*	झारखंड	आंध्र प्रदेश
अरुणांचल प्रदेश	पंजाब*	कर्नाटक*	दिल्ली
उत्तराखंड	लक्षद्वीप	केरल*	गुजरात*
नागालैंड		दादरा व नागर हवेली	जम्मू–कश्मीर*
त्रिपुरा*	अंडमान व निकोबार	मणिपुर	महाराष्ट्र
	बिहार*	मिजोरम	मध्य प्रदेश
	हरियाणा*	पुदुचेरी	उत्तर प्रदेश
			तमिलनाडु*

* चिन्हित राज्य वे हैं जो अपने नए पुलिस कानून का प्रारुप तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं

5. राज्यों ने क्या कहा है?

बहुत से राज्यों ने कहा है कि वे न्यायालय के निर्देशों के पीछे की भावना का समर्थन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निर्देशों, विशेषकर उनके वर्तमान स्वरुप, के तुरंत कार्यान्वयन के विरुद्ध निम्न तर्क दिए हैं।

5.1. पुलिस प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम है
राज्य सुरक्षा आयोग की जरुरत पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि पुलिस पर कोई गैर–कानूनी दबाव नहीं है। (गुजरात, नागालैंड)

5.2. निर्वाचित सरकार की शक्ति को कम करता है
बाध्यकारी शक्तियों से संपन्न राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने से राज्य पुलिस पर संवैधानिक रुप से स्थापित राज्य की शक्ति के कम हो जाने की आंशका है। इसके कारण एक ऐसी समानांतर संस्था पैदा हो सकती है जो राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह न हो और राज्य के अधिकारों का हनन करे। (आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश)

5.3. तय कार्यकाल अधिकारियों के मनोबल को कम करेगा और सरकार के लचीलेपन को सीमित
पुलिस महानिदेशकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को न देखते हुए, उन्हें दो साल का निर्धारित कार्यकाल प्रदान करने से अन्य योग्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पदोन्नित के अवसर बाधित होंगे और इससे उनका मनोबल कम होगा। इसके अलावा, निर्देश प्रशासनिक तात्कालिकताओं को संबोधित करने के लिए पुलिस अधिकारियों का स्थाानांतरण करने के राज्य सरकार के अधिकार को छीन लेते हैं। इसी तरह के तर्क पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप–निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक व स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए तय कार्यकाल निश्चित करने के विरुद्ध दिए गए हैं। (आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, नागालैंड)

5.4. केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की संलग्नता न व्यावहारिक है और न ही आवश्यक
मौजूदा कानून के तहत, राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करने के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा तीन अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की संलग्नता न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक। (गुजरात, कर्नाटक)

5.5. अच्छे कार्य प्रदर्शन के लिए तय कार्यकाल आवश्यक नहीं है
छोटा कार्यकाल अधिकारी की कार्य कुशलता को प्रभावित नहीं करता। (आंध्र प्रदेश)

5.6. पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड को सौंपे गए काम करने के लिए पहले ही अन्य तंत्र मौजूद हैं
पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड का गठन सरकार के लोकतांत्रिक कामकाज के विरुद्ध जाएगा और एक अलग शक्ति केन्द्र का निर्माण करेगा जिसमें नौकरशाह होंगे जो कि लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। साथ ही यह मौजूदा तंत्रों का ही एक और प्रतिरुप होगा। (गुजरात, उत्तर प्रदेश)

5.7. शिकायत प्राधिकरण मौजूदा प्रयासों को ही दोहराएंगे और एक वित्तीय बोझ होंगे
पुलिस के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राज्य सर्तकता आयोग और लोक आयुक्त पहले ही अस्तित्व में हैं। जिला व राज्य स्तर पर नए शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना करना मौजूदा व्यवस्थाओं के काम को दोहराना भर होगा और ये प्राधिकरण एक वित्तीय बोझ होंगे। (गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु)

5.8. शिकायत प्राधिकरणों की कोई ठोस जरुरत सामने नहीं आई
उत्तर प्रदेश ने राज्य व जिला शिकायत प्राधिकरणों की जरुरत के विरुद्ध दलील दी। उसकी दलील पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की संख्या तथा उनमें से गलत या आधारहीन पाई जाने वाली शिकायतों की संख्या की तुलना पर आधारित थी। नागालैंड का कहना था कि पुलिस द्वारा ज्यादतियां करने की घटनाएं बहुत कम होती हैं।

5.9. शिकायत प्राधिकरण पुलिस का मनोबल कम करेंगे
जिला व राज्य शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना के कारण पुलिस का मनोबल गिर सकता है, वह विभिन्न कानूनों को लागू करने में असमर्थ हो सकती है और एक और एजेंसी के द्वारा दंडित होने के भय के कारण निष्प्रभावी हो सकती है। (आंध्र प्रदेश)

आंध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु वे राज्य हैं जिन्होंने न्यायालय में समीक्षा याचिकाएं दायर की हैं। इसका अर्थ है कि निर्देशों के विरुद्ध उनकी आपत्तियां इतनी सख्त हैं कि उन्होंने न्यायालय से अपने समूचे निर्देशों की समीक्षा का निवेदन किया है!!

निर्देशों को कागज से हकीकत में लाना

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तुरंत पुलिस में सुधार कराने के फैसले पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति और उन्हें पदमुक्त करने, पुलिस निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों व स्टेशन हाउस ऑफिसरों को पद मुक्त करने, अन्य पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण व पदोन्नितयों तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायतों सहित किसी भी केन्द्र या राज्य सरकार के फैसलों को अब के बाद से इन निर्देशों की रोशनी में देखा जाना चाहिए।

पहले ही ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जब राज्य सरकारों ने पालना की स्वयं अपनी ही अधिसूचनाओं का उल्लंघन किया है। अरुणांचल प्रदेश तथा मणिपुर, दोनों ही राज्यों में पुलिस महानिदेशकों को एक कार्यकारी आदेश के तहत दो वर्ष के कार्यकाल का आश्वासन देने के बावजूद इस अवधि से पहले ही उनके पदों से हटा दिया गया। उन्हें हटाने के लिए कोई आधार नहीं बताए गए जोकि कानून के तहत जरुरी हैं।

पुलिस महानिदेशक की चयन प्रक्रिया तथा उसके न्यूनतम कार्यकाल की घोषणा करते हुए विशेष सचिव ने 28 दिसंबर 2006 को एक आदेश जारी किया।[1] पुलिस महानिदेशक को न्यूनतम कार्यकाल प्रदान करने के बारे में आदेश कहता है:

> ''2. मणिपुर सरकार को यह आदेश देते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि उन स्थितियों को छोड़ कर जहां अधिकारी दो वर्ष से कम की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहा है, पुलिस महानिदेश का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होगा। पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध अखिल भारतीय (अनुशासन व अपील) सेवा नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने या किसी आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी अदालत द्वारा दंडित किए जाने या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाने की स्थिति में राज्य सुरक्षा आयोग के साथ विचार–विमर्श से राज्य सरकार उसे उसके दायित्वों से मुक्त कर सकती है।''

एक एकपक्षीय कार्रवाई के जरिए मणिपुर सरकार ने पुलिस महानिदेशक, ए. के. पाराशर को हटा दिया। सरकार ने उन्हें हटाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया और न ही उन्हें हटाने के लिए कोई कानूनी आधार (अखिल भारतीय (अनुशासन व अपील) सेवा नियमों के तहत कार्रवाई, किसी आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी अदालत द्वारा दंडित किए जाने या अन्यथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाने) बताया। जिस तरीके से उन्हें हटाया गया है, वह स्वयं राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश का घोर उल्लंघन है!

वे राज्य जो पुलिस सुधार में अग्रणी हैं

कुछ राज्यों ने व्यापक पुलिस सुधार के प्रति प्रशंसनीय प्रतिबद्धता दर्शाई है। मेघालय की राज्य सरकार ने प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों से काफी पहले, 2005 में एक चार–सदस्यीय पुलिस सुधार समिति की स्थापना की। समिति को काफी व्यापक विचारार्थ विषय सौंपे गए और इसने उन समस्याओं की पड़ताल करने के लिए राज्य भर का दौरा किया जिन्हें संबोधित किए जाने की जरुरत थी। उन्होंने अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप देने से पहले जनता के सदस्यों के साथ–साथ पुलिस से भी विचार–विमर्श किया। राज्य सरकार ने समिति की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया। इसके अलावा, मेघालय ने सभी निर्देशों की पालना करने की अधिसूचनाएं जारी की हैं।

मेघालय पुलिस ने अपने वेबसाइट पर इस बारे में स्पष्ट सूचनाएं/ वक्तव्य पोस्ट किए हैं कि जनता पुलिस से क्या उम्मीदें कर सकती है, पुलिस क्या सेवाएं प्रदान करेगी, अपराध उत्पीड़ितों के क्या अधिकार हैं तथा इसी तरह की अन्य प्रासंगिक सूचनाएं।

6. नया पुलिस कानून

इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत भारतीय नागरिकों के साथ पुलिस व्यवहार को जारी रखना बिल्कुल गलत है। यह कानून औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ठीक बाद बनाया गया था।

गृह मंत्रालय ने भारत के लिए एक मॉडल पुलिस विधेयक का प्रारुप तैयार करने के लिए 2005 में एक पुलिस अधिनियम प्रारुप लेखन समिति (पीएडीसी) का गठन किया। पीएडीसी ने 31 अक्टूबर 2006 को अपना प्रारुप मंत्रालय को सौंप दिया। इस प्रारुप विधेयक को सभी राज्य सरकारों के पास भेजा गया। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र सरकार केन्द्र शासित क्षेत्रों में नए पुलिस कानून को या तो संसद के इस या अगले सत्र में पेश करेगी। लेकिन देखना यह है कि संसद के सामने रखा जाने वाला प्रारुप अधिनियम पीएडीसी द्वारा अक्टूबर 2006 में मंत्रालय को सौंपे गए अधिनियम का बेहद कमजोर रुप तो नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकारें मॉडल पुलिस विधेयक के आधार पर अपने पुलिस कानून बनाएंगी।

---

[1] विशेष सचिव, मणिपुर सरकार, कार्मिक विभाग (एस. सुंदरलाल सिंह), (क्र. सं. 18/ 39/ 2006–पीओएल/ डीपी), तिथि 28 दिसंबर 2006।

(कुल 28 राज्यों में से) निम्न चौदह राज्यों ने हाल ही में या तो नए पुलिस कानून पारित किए हैं या उन्होंने नए कानून का प्रारुप तैयार करने की प्रक्रिया शुरु की है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, समुदाय व नागरिक समाज के साथ विचार–विमर्श का संपूर्ण अभाव गौरतलब है। अनेकों राज्यों में लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि उनकी राज्य सरकार पुलिस कानूनों में सुधार करने की प्रक्रिया में है। अच्छे पुलिस कर्म से लाभान्वित और खराब पुलिस कर्म से उत्पीड़ित मुख्यतः समुदाय ही होते हैं। अगर पुलिस को प्रभावी, कार्य–कुशल तथा जवाबदेह होना है, तो इस प्रक्रिया में समुदाय तथा नागरिक समाज की भागीदारी आवश्यक है।

राज्य	काम शुरु करने की तिथि
असम	1 अप्रैल 2007 को मुख्यमंत्री को असम पुलिस अधिनियम का प्रारुप सौंपा गया
तमिलनाडु	शपथपत्र में कहा गया है कि काम शुरु किया जा चुका है, कोई विवरण नहीं दिए गए हैं
छत्तीसगढ़	14 फरवरी 2007 को 5 सदस्यों की प्रारुप लेखन समिति गठित की गई; 9 जुलाई 2007 को प्रारुप अधिनियम विधान सभा में पेश किया जाएगा
गुजरात	10 मार्च 2007 को प्रारुप लेखन समिति स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई
प. बंगाल	31 मार्च 2007 तक प्रारुप लेखन समिति को अपनी रपट देनी है
जम्मू–कश्मीर	प्रारुप लेखन समिति गठित हो चुकी है
कर्नाटक	जून 2007 को विधान सभा में नया पुलिस विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा
सिक्किम	प्रारुप अपने अंतिम चरण में है और उसे बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा
राजस्थान	प्रारुप विधेयक पेश किया जाएगा
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित
	हाल ही में नया कानून पारित किया
बिहार	28 मार्च 2007 को बिहार पुलिस अधिनियम पारित किया
केरल	12 फरवरी 2007 को अध्यादेश जारी किया गया
त्रिपुरा	29 मार्च 2007 को त्रिपुरा पुलिस विधेयक पारित किया गया
हरियाणा	मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2006 को एक अध्यादेश के रुप में नए पुलिस अधिनियम को स्वीकृति दी

यह एक सकारात्मक बात है कि राज्य सरकारें नये पुलिस कानून का प्रारुप तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। पर साथ ही यह भी बहुत चिंता का विषय है कि इसमें समुदायों को संलग्न नहीं किया गया और उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। राज्य सरकारों को अपने पुलिस कानूनों का प्रारुप फिर से तैयार करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहलों को व्यापक रुप से प्रचारित करना चाहिए। इस सूचना को प्रकाशित करने से जनता शिक्षित होगी तथा लोकतंत्र मजबूत।

राज्य सरकारें निम्न तरह की कार्रवाइयां कर सकती हैं:

- पुलिस अधिनियम प्रारुप लेखन समिति को स्वीकृति देना कि वह नागरिक समाज तथा समुदाय का सहयोग–सुझाव आमंत्रित करे;
- किसी मौजूदा समिति की सदस्यता को विज्ञापित करना;
- समुदाय जैसी पुलिस सेवा तथा पुलिस कानून चाहता है, उन पर जन ज्ञापन आमंत्रित करना;
- पुलिस के सभी स्तरों से ज्ञापन आमंत्रित करना कि वे किस तरह की पुलिस सेवा तथा पुलिस कानून का अंग होना चाहते हैं;
- पुलिस के सभी स्तरों पर, विशेषकर उप पुलिस अधीक्षक व नीचे के अधिकारियों, उनका मत जानने के लिए फोकस समूह चर्चाएं आयोजित करना;
- पुलिस कर्म में समुदाय की आवाज पैदा करने और उस आवाज को महत्व देने के लिए सार्वजनिक मंचों तथा बैठकों का आयोजन करना;
- सार्वजनिक मंचों के नतीजों को संकलित करना और उन्हें 'जनता की आवाज' के रुप में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रसारित–प्रचारित करना; और
- सुनिश्चित करना कि संसद के सम्मुख जाने वाला प्रारुप कानून सार्वजनिक वृत्त में मौजूद हो और उसे टिप्पणियों के लिए सुलभ कराया गया हो।